(17)

उत्तरांचल शासन
महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग
संख्या : 290 /43-बा.वि./2002
देहरादून : दिनांक 07 नवम्बर, 2002

अधिसूचना

प्रकीर्ण

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन, उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के संबंध में लागू विधि को, आदेश द्वारा, निरसन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तर कर सकती है जो आवश्यक व समीचीन हो;

तथा चूंकि उत्तर प्रदेश समेकित बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार (समूह "क" और समूह "ख") सेवा नियमावली, 1996 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अन्तर्गत उत्तरांचल राज्य में यथावत् लागू है;

अत: अब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2000) की धारा 87 के अधीन शक्तियों का प्रयोग, करते हुये श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश समेकित बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार (समूह "क" और समूह "ख") सेवा नियमावली, 1996 उत्तरांचल में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेंगे -

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश समेकित बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार (समूह "क" और समूह "ख") सेवा नियमावली, 1996) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :-

(1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश समेकित बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार (समूह "क" और समूह "ख") सेवा नियमावली, 1996) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2. "उत्तर प्रदेश" के स्थान पर "उत्तरांचल" पढ़ा जाना :- उत्तर प्रदेश समेकित बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, (समूह "क" और समूह "ख") सेवा नियमावली, 1996 में जहां-जहां शब्द पद "उत्तर प्रदेश" आया है, वहां शब्द "उत्तरांचल" के रूप में पढा जायेगा।

3. उत्तर प्रदेश समेकित बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार (समूह "क" और समूह "ख") सेवा नियमावली, 1996 के भाग-1 नियम-3 के खण्ड (क) निम्नवत पढ़ा जायेगा :-

3-(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य जिला कार्यक्रम अधिकारी के पदों के संबंध में राज्यपाल से है तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं अपर बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद के संबंध में निदेशक से है।

4. उत्तर प्रदेश समेकित बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार (समूह "क" और समूह "ख") सेवा नियमावली, 1996 के भाग-7 नियम-22 में पद व वेतनमान अब परिशिष्ट में निम्नानुसार पढे जायेंगे :-

क्र0सं0	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1.	जिला कार्यक्रम अधिकारी	7	रू0 8000-275-13500
2.	कार्यक्रम अधिकारी (निदेशालय हेतु)	1	रू0 8000-275-13500
3.	बाल विकास परियोजना अधिकारी	54	रू0 5000-150-8000
4.	अपर बाल विकास परियोजना अधिकारी	6	रू0 5000-150-8000

कार्यक्रम अधिकारी के सभी 8 पद समान वेतनमान के हैं, 7 पद जनपदों में एवं 1 पद मुख्यालय पर है। इन पदों पर इस वेतनमान में कार्यरत किसी भी कार्यक्रम अधिकारी की तैनाती मुख्यालय में की जा सकती है।

5. उत्तर प्रदेश समेकित बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार (समूह "क" और समूह "ख") सेवा नियमावली, 1996 के भाग-3 के नियम-5 के उपनियम-(ग)(दो) निम्नानुसार पढ़े जायेंगे :-

5(ग)-(दो) - पचास प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों म से जिन्होनें भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। लोक सेवा आयोग से चयनित बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं नियमित पदोन्नत बाल विकास परियोजना अधिकारी अपने-अपने संवर्ग से समान अनुपात के आधार पर पदोन्नत होंगे। जिला कार्यक्रम अधिकारी के पदोन्नति के विद्यमान रिक्त पदों में रोस्टर के अनुसार पहला पद सीधी भर्ती के बाल विकास परियोजना अधिकारी, दूसरा पदोन्नत बाल विकास परियोजना अधिकारी, तीसरा सीधी भर्ती के बाल विकास परियोजना अधिकारी......... तद्नुसार क्रम चलेगा।

6. उत्तर प्रदेश समेकित बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार (समूह "क" और समूह "ख") सेवा नियमावली, 1996 के भाग-4 के नियम-10 में सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने भर्ती के वर्ष को पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 35 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने अधिक होगी जितनी निर्दिष्ट की जायें।

7. उत्तर प्रदेश समेकित बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार (समूह "क" और समूह "ख") सेवा नियमावली, 1996 के भाग-7 के नियम-24 अपसारित समझे जायें।

आज्ञा से,

Alok Jain

(आलोक कुमार जैन)
सचिव

संख्या : 290 (1)/43-बा.वि./2002 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव महोदय, उत्तरांचल शासन।
4. निदेशक, आई.सी.डी.एस., उत्तरांचल।

(16)

5. निजी सचिव, मा0 स्वास्थ्य मंत्री, उत्तरांचल को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
6. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को गजट में प्रकाशित कर इसकी 200 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनीषा पंवार)
अपर सचिव